न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अंजु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 165/2022

<u>उनवान</u>

किशन पिता मोतीया निनामा जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

(1) खेमजी उर्फ खेमराज पिता देवजी उर्फ देवकृष्ण निनामा जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।

(2) देवजी उर्फ देवकृष्ण पिता कलजी निनामा जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।

(3) छगनलाल पिता वारजी निनामा जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।

(4) मनोज पिता देवकृष्ण निनामा जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।

(5) शान्तिलाल पिता भलिया निनामा जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।

(6) कमला पत्नी कान्तिलाल जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथूना।

(7) गणेश पिता कान्तिलाल जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथूना।

(8) मणी पत्नी शान्तिलाल जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथूना।

(9) प्रकाश पिता कान्तिलाल जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथूना।

10) हितेश पिता शान्तिलाल जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथूना।

11) चतुरा पिता कलजी जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथुना।

12) थावरा पिता कलजी जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथुना।

13) देवकृष्ण पिता कलजी जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथुना।

14) शान्तिलाल पिता भलिया जाति भील निवासी गामडी नारायण तहसील अरथूना।

15) तहसीलदार, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।

प्रतिवादीगणः—

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 06.7.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.08.29 13:42:06 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त तत्थय इस प्रकार है कि वादी [illegible] स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भुमि जिसका खाता संख्या 49 नया व पुराना [illegible] 2179/1846 रकबा 0.10 हे0 वाके ग्राम गामडी नारायण में स्थित होकर वर्षो से शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग कर [illegible] करता आ रहा है। उक्त प्रतिवादीगणों द्वारा आपसी मिलीभगत कर वादी की जमीन को हडपने एवं खुर्द—बुर्द करने के उद्देश्य से वादी को सूचना दिये बिना उक्त खसरा नम्बर पर अवैद्य तरिके से रास्ता बनाना चाहते है। जबकि उक्त प्रतिवादीगणों को आने—जाने वाले कच्चा रास्ता है जिस पर उक्त लोगों का आना—जाना और वाहनों का आना—जाना होता है। लेकिन प्रतिवादीगणों ने आपसी मिलीभगत कर उक्त वादी की निजी कृषि भुमि पर रास्ता बनाना चाहते हैं। इसके लिये

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

प्रतिवादीगणों ने आपसी मिलीभगत कर वादी की कब्जाशुदा जमीन जिसका खसरा संख्या 2175/1846 रकबा 0.10 हे0 में रास्ता बनाने के लिये आज से करीब 15 दिन पूर्व तहसीलदार अरथुना मय प्रतिवादीगण जबरन जे.सी.बी. से रास्ता बनाने का प्रयास करने के कारण वाद उत्पन्न हुआ है। उक्त प्रतिवादीगणों ने जहां रास्ता बनाने के लिये आमादा हुए हैं लेकिन वहां पर पूर्व में किसी प्रकार का रास्ता नहीं है और ना ही पूर्व में कोई रास्ता या प्रतिवादीगणों का आने-जाने के लिये पूर्व मुख्य माईनर के पास से करीब 20 फीट का रास्ता है जिस पर प्रतिवादीगण कई वर्षो से आना-जाना करते हैं तथा पूर्व में रास्ता है उक्त रास्ता प्रतिवादी खेमजी उर्फ खेमराज के खाते की भुमि खसरा नम्बर 2159/1752, 2166/1856 व 2116/2862 में से गुजर रहा है। लेकिन प्रतिवादीगण उनके खेतों में से जाने वाले रास्ते को निरस्त कर जबरन वादी की खाते एवं कब्जेशुदा जमीन में से रास्ता निकालना चाहता है तथा वादी की कब्जेशुदा जमीन खसरा संख्या 2175/1846 रकबा 0.10 हे0 में से राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर पटवार मण्डल टिमुरवा के पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर रास्ते हेतु गलत नामान्तरण कर दिया है जबकि पूर्व में वहां कोई रास्ता नहीं होकर कृषि भूमि है तथा प्रतिवादीगणों के आने-जाने के लिये पहले से कच्चा रास्ता उपलब्ध है तथा उक्त नये रास्ते की घोषणा से पूर्व वादी को किसी प्रकार की सूचना तक नहीं दी तथा ना ही उसे सुना गया है। प्रतिवादी नम्बर 15 तहसीलदार अरथुना द्वारा वादी को हिदायत दी गयी है कि दो दिन में मय पुलिस जाब्ता यहां से नया रास्ता खोला जायेगा कोई धांधली मत करना। जब वादी को उक्त मामला जानकारी में आया तो उसके द्वारा नकल निकालने पर पता चला कि उसके कब्जेशुदा पर पता चला कि उसके कब्जेशुदा जमीन में से 1 हे0 भुमि मुख्य रास्ता घोषित कर दिया है तथा वादी की खाते की जमीन में से भी बाकि रास्ता जबरन खोला जायेगा इस प्रकार से प्रतिवादीगणों द्वारा आपसी मिलीभगत कर जबरन उसके खाते की भुमि में से रास्ता निकालना चाहते हैं जबकि वहां पर पूर्व में कोई रास्ता नहीं है तथा पूर्व में प्रतिवादीगणों का रास्ता बना हुआ है इसलिए उनको उक्त नये रास्ते का निर्माण करने एवं जमीन को खुर्द-बुर्द करने से रोकना अति आवश्यक है जिस के लिए धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट के तहत पेश हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से श्री पवन लुहार अभिभाषक का वकालतनामा पेश होकर पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाब हेतु नियत की गई।

दौराने कार्यवाही वादी एंव प्रतिवादी अभिभाषक ने अवगत कराया कि प्रकरण में मौके पर किसी प्रकार का विवाद नही होकर वर्तमान में दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है।

अतः उक्त प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.7.2023 को जारी किया गया।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.08.29 13:42:06 IST
Reason: SelfAttested

6.7.23

पत्रावली पेश हुई। अनुसंधान उपस्थित। अनुसंधान
ने अवगत कराया कि प्रकरण में दोनों पक्षों का
मौके पर राजीनामा होकर किसी प्रकार का विवाद
नहीं है। अतः प्रकरण में पृथक से निर्णय जारी
कर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.08.29 13:42:06 IST
Reason: SelfAttested